ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-2* Issue-2* May- 2017
Anthology : The Research

अपराध और आर्थिक स्थिति

वन्दना
एसो0 प्रोफेसर
भूगोल विभाग,
वी0 वी0 पी0जी0 कॉलेज,
शामली

सारांश

जब से समाज की रचना हुई है आर्थिक कारक प्रभावी रहे है। यूनानी दार्शनिक ने शताब्दी बीती कहा था कि ''निर्धनता आन्दोलन में अवरोध है।'' उनके मतानुसार निर्धनता अपराध की जननी है। विमुक्षितः किं न करोति पापम् आवश्यकता, लोभ लालच, ऐश आराम की वस्तुऐ और शानशौकत दिखाने वाली वस्तुओं का मोह सहज ही मानव मन को अपराध की प्रवृत्ति में घसीट ले जाता है।

मुख्य शब्द : मादक व्यसन, पंचतत्व, युवा अवस्था

प्रस्तावना

निर्धनता, भूख, दुर्भाग्य, बीमारी, मानव के व्यक्तित्व को अनायास ही गैर जिम्मेदार और अपराधी बना देते है। खाने की वस्तुऐं महंगी होती है– बस अपराध बढ़ जाते है। यों तो अच्छे आर्थिक दिनों में भी अपराध होते है। निर्धन अर्थव्यवस्था और अपराध का सहसम्बन्ध बड़ा विचित्र है। 50% अपराध यद्यपि निर्धनता के कारण होते है। अपराध का वास्तव में जन्म मानव मन में होता है। ऐश और आराम की बहुमूल्य वस्तुओं का लालच और फिर आदत इस ओर बने रहना। आज के युग में गबन, धोखा–धड़ी, ठगी, भ्रष्टाचार, करों का झूठ बोलकर न देना। खातों मेंहेरा–फेरी, काला बाजारी, या यों कहिये ईमानदारी को छोड़कर व्यवहार और व्यापार में सबकुछ करना। कुछ प्रमुख अर्थशास्त्री हमारी अर्थव्यवस्था को दोष देते है। उन्होंने निजी व्यापार और निजी उद्योग इसके मूल कारण समझें। उन्होंने राष्ट्रीयकरण की नीतियों को सुझाया। हमारे यहाँ उद्योग और बैंक राष्ट्रीयकृत हुए। परन्तु समस्या का समाधान नहीं हो पाया, जब राष्ट्रीयकरण हुआ, लाभ का कमाना कम हुआ तो व्यक्ति की कार्यक्षमता शिथिल हो गई।

यह अध्ययन में आया कि मात्र निर्धनता, अभाव और आर्थिक विषमता अपराध का कारण नहीं है। अधिक से अधिक प्राप्त करना व्यक्ति को आपराधिक प्रवृत्ति में ले जाते है। कुछ अर्थव्यवस्थाओं में यह भी देखा गया है कि गरीबी जहाँ, अपराध वहाँ। यह भी सच है कि बहुलता, आर्थिक उत्कृष्टता में भी तो अपराध होते है। यह देखा गया है कि अभावग्रस्त स्थिति में 56% और सम्पन्नता में 44% अपराध होते है। बाल अपराध सम्पन्नता में अधिक होते है। आवश्यकता उतनी नहीं जितना लोभ अपराध को बढ़ाता है।

संगठित अपराध और सफेदपोश अपराधी

अपराधियों ने संगठित होकर उन बातों को अपराध में उतार दिया जो सामान्य व्यापार की दुनिया में मान्यता प्राप्त है। उदाहरणार्थ श्रम विभाजन, विश्वसनीयता, साथी से सहयोग, जिससे अपराध एक पेशा बन गया। उन्होंने अन्य अपराधी संगठनों से भी साँठ–गाँठ करली जैसे शराब की गैर कानूनी बिक्री, जुआँ, वेश्यावृत्ति आदि आदि। इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन का एक सदा चलने वाला व्यापार बना लिया।

संगठित अपराधी

सामान्य अपराधों में सहायता प्रदान करते है। अपराधी को पूरा लाभ मिलता है (जैसे– चोरी, डकैती, अगवा करना, धोखाधड़ी, जेबकतरी आदि)

संगठित अपराध

जो उपभोक्ता स्वेच्छा से उनको मदद देते है और उनकी मदद लेते है क्योंकि उन्हें उपयोगिता मिलती है यथा शराब, ड्रग्स, जुआँ आदि और साधारण माँग–पूर्ति के नियम से धंधा चलता है। यदा कदा पुलिस का सहयोग भी प्राप्त कर लिया जाता है। ये संगठित अपराधी गैर कानूनी शोषण करते है, उपभोक्ताओं की जायज और नाजायज इच्छाओं का। आज की प्रतिस्पर्धा की स्थिति में वैयक्तिक व्यापारिक संगठन, श्रम संगठन, अपनी बात मनवाने में इनका दुरूपयोग करते है। इससे हिंसा और अनैतिक दबाव की स्थिति बन जाती है।

संगठित अपराधी झूठे नाम से लाखों करोड़ों रुपयो का घपला करते है। मनरेगा और स्वास्थ्य की कई भ्रष्टाचारी स्थितियों का हाल ही में पता चला है। श्रम संगठन के चुनावों में यह अपराधी संगठन जीत दिलाने के लिए अपना प्रभाव रखते है। इनका आगे चल कर उद्योगपतियों को सहयोग देते है, जब चाहे हड़ताल करा दे। यह संगठन हर प्रकार से उनको उनके मतानुसार श्रम संगठनों को जहाँ से पैसा मिलता है उन संस्थाओं के पक्ष में निर्णय कराने में पूरा सहयोग देते है।

जुआँ, घुड़दौड़, पशु–युद्ध, सहा, लौटरी जैसे धन्धों में मनुष्यों को फाँसते है। मनुष्य तो सदा से ही तैयार रहता है कि अवसर पाये–भाग्य आजमायें, बिना कुछ खोवे पाये–लाभ कमाये। यह सारे दुर्व्यसन कानून द्वारा रोके जाने संभव नही है। हाँ सामाजिक नियन्त्रण ही इन्हें जड़ से उखाड़ सकता है।

राजनैतिक रिश्वत का भी अपना महत्व है। सामान्य व्यापार प्रतिष्ठित व्यक्ति अपराधियों और राजनैतिक दलों से मिलकर आपराधिक कृत्यों का खुलासा विगत के कुछ महीनों में देखने को मिला है। चुनाव में अपराधियों के सहयोग से पार्टी और उसके द्वारा चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थियों को जिताया जाता है ताकि चुनावोपरान्त यह दल और दूसरे सदस्य उनके गैर कानूनी कार्यो में अड़चन न आने दे। हिंसा, धमकाना, वोट खरीदना जैसे अनेक अनैतिक एवं आपराधिक कृत्यों में यह आपराधिक संगठन अपनी महत्वपूर्ण प्रभावी भूमिका निर्वाह करते है।

संगठित अपराधियों में एक बात प्रमुख रूप से पाई जाती है वह है उनमें एकता और यही उनकी सफलता का विशेष हथियार है। इसी से उनके आपराधिक कृत्यों का पता भी नहीं लग पाता है।

संगठित अपराधों में उनका एक नेता होता है। इस नेता के अन्तर्गत यह गैंग कार्य करता है। इसके सदस्य मर भले ही जाये राज नही उगलेंगे। पूरी समरसता से इनका कार्य चलता है। इनकी अपनी एक नैतिक संहिता है।

इनमें श्रम विभाजन होता है। इनके कार्य और जिम्मेदारी अपनी अलग होती है। शराब के संगठित अपराध तन्त्र को देखते है, कौन लायेगा, कौन उसको पायेगा, कौन उपभोक्ता तक पहुँचायेगा। कौन चौकसी करेगा, सूचना देगा, कौन पुलिस से बचायेगा, कौन गिरफ्तारी से बचायेगा और कौन इसको गुप्त रखेगा। नेता इस पर निगाह रखता है ताकि सुचारू रूप से कार्य सम्पन्न हो, सदस्यों पर नियन्त्रण रखे।

अपराधियों में गुण होते है। वे ईमानदार होते है। कार्य के प्रति श्रद्धा, वफादार, सह कर्मियों से सौहार्द बनाये रखते है।

इन अपराधी संगठनों में एक बात देखने में आती है, यह दूसरे अपराधी संगठनों से सहयोग करते है। जुआँ, शराब, वेश्यावृत्ति। इनमें यदि सद्भावना आ जाये तो यह बड़े सज्जन, सुनागरिक बन सकते है।

सफेदपोश अपराधी

सफेदपोश अपराध प्रतिष्ठित समाज के उच्चवर्गीय लोग करते है। इनका अपराध इनके पेशे से जुड़ा होता है। यह दूसरों की जेब काटकर बहुत बड़ा लाभ कमाते है। अपने व्यापार, उद्योग और व्यवसाय में चिट्ठा (बैलेन्स शीट) झूठा दिखाते है। कितना माल निकला, कम बताते है। यह ऐसा अपराध है जो लाखों लोगों से सम्बन्ध रखता है। शोषित व्यक्ति इसे देख–समझ पाने में असमर्थ है। अपराधी अव्वल तो पकड़ा नही जाता और यदि पकड़ा भी गया तो उसकी प्रतिष्ठा में आँच नहीं आती है। साधारण सा व्यापार का नियम है। ''खरीदार! आँख खोलकर सौदा करे।'' उसका जिम्मा है कि बेचने वाले की बेईमानी से बचे। प्रायः कानून में भी अपराधी बच निकल जाते है।

सफेद पोश अपराधी सामान्य अपराधी की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान, गम्भीर, सफल, उच्चतर सामाजिक स्तर का होता है। इसके द्वारा किये गये अपराध अनाम, गैर जाँचशुदा और व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी से अलग होते है। यही कारण है कि सामान्य अपराधी की अपेक्षा इनको दण्डित करना कठिन होता है।

बीमा, बैंक, लोकपाल, कम्पनी कानून में हाल ही में किये गये संशोधन निजी व्यापारियों पर राज्य नियन्त्रण बढ़ेगा और प्रयास होगा कि इनके द्वारा किये गये अपराधों पर निगरानी हो।

सफेद पोश अपराध का मुख्य कारण है प्रतिद्वन्द्वता। अपने जैसे व्यापारी से अधिक लाभ कमाकर अधिकाधिक राज्य से अनुदान प्राप्त करे। धोखाधड़ी द्वारा कानूनी पेशावरों से अपना स्वार्थ सिद्ध करे।

निष्कर्ष

बेनामी जायदाद, जायदाद संबंधी झूठी रिपोर्ट, कमाई गई आय को छिपाना, आयकर चोरी करना, कर से झूठ के आधार पर कमी कराना। बीमा–विज्ञापन, गोदाम में आग, रिश्वत, निली लाभ हेतु सामाजिक उच्च स्तर के लोग नित्य नये रूप में अपराध करते है। पकड़े नही जाते, पकड़े गये तो सजा नही होती। कानून बनाने वालों का भी उनके प्रति अच्छा रुख रहता है। कोर्ट कचहरी में भी वह प्रायः जीत जाते है। इनका प्रभाव पुलिस, जन प्रतिनिधियों, जन प्रशासकों, दूरदर्शन, समाचार पत्रों, पर इतना होता है कि सामान्य अपराधी की अपेक्षा इनका सामाजिक स्तर, प्रभाव और रुतबा कभी नही घटता। यह हमारे समाज के रुख की बात है जो सफेद पोश अपराधी के पक्ष में जाती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *White Collar Criminality, Prof. E.H. Switzerland*
2. *Organized Crime, New York University Publication*
3. *P.S.A. Pillai, 'Criminal Law' (Lexis Nexis, 2009)*
4. *Dr. Froz Ahamad, 'Child Labour in India: A Story of Endless Exploitation' (Raj Publication New Delhi, 2010)*
5. *S.K. Ghosh, Women and Crime (Ashish Publishing House, New Delhi, 1996)*
6. *T.K. Sandhya and S.A. Khan, Child Labour: Global Challenge (Deep and Deep Publication, New Delhi, 2003)*
7. *Kovasevic, Natasha 'Child Slavery' India's Self-Perpetuating Dilemma.' Harvard International Review, 292 (2007)*

8. *Government of India, Report, Crime in India, (Ministry of Home Affairs 2013).*
9. *ILO (2005), "A Global Alliance Against Forced Labour", Geneva: ILO*
10. *Hindustan Times Daily, New Delhi*